मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-15.12.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

---

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. **पंचायती राज विभाग** में अवमाननावाद के 10 (दस) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 528 (पाँच सौ अठाइस) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव द्वारा उपरोक्त मामले में अविलम्ब प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सलाह दी गयी। प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा सूचना दी गयी कि अवमाननावाद के अधिकत्तर मामले भोजपुर जिला परिषद् से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन मिलने पर अप्रैल, 2014 में स्थिति सुधर जाएगी।

3. **ग्रामीण विकास विभाग** में अवमाननावाद के 8 (आठ) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 143 (एक सौ तैंतालीस) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने संबंध में त्वरित कारवाई करने का निदेश दिया जाय।

4. **नगर विकास एवं आवास विभाग** में अवमाननावाद के 249 (दो सौ उनचास) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 834 (आठ सौ चौंतीस) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा अवमाननावाद के पुराने मामले में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र व अग्रिम कारवाई करने का निदेश दिया गया। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 में लम्बित आधे मामले में एक माह के अन्दर कारवाई करने का आश्वासन दिया गया।

5. **पथ निर्माण विभाग** में अवमाननावाद के 22 (बाइस) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 365 (तीन सौ पैंसठ) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 के जिन मामले में कारण पृच्छा दायर नहीं किया गया है, उन सभी मामलों का समीक्षा कर शीघ्र कारण पृच्छा दायर करने एवं प्रतिवेदन तैयार करने वाले पदाधिकारी को Latest Figure जोड़कर प्रतिवेदन का संधारण ठीक् ढंग से करने का निदेश दिया गया।

6. **भवन निर्माण विभाग** में अवमाननावाद के 13 (तेरह) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 112 (एक सौ बारह) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा अवमाननावाद के मामले शीघ्र निष्पादन करने एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले में कार्य में गति लाने का निदेश दिया गया।

7. **सामान्य प्रशासन विभाग** में अवमाननावाद के 14 (चौदह) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 129 (एक सौ उनतीस) मामले लम्बित हैं। प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचित किया गया के अवमाननावाद के 6 (छ) मामले दूसरे विभाग से संबंधित है, जिसे संबंधित विभाग को स्थानांतरित कर दी गयी है एवं सी0डब्लू0जे0सी0 में 35 (पैंतीस) मामले दूसरे विभाग को स्थानांतरित कर दी गयी है एवं शेष अधिकांश मामले में S.O.F. सरकारी अधिवक्ता को भेज दी गयी है।

8. **शिक्षा विभाग** में अवमाननावाद के 694 (छः सौ चौरानवे) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 3537 (तीन हजार पाँच सौ सैंतीस) मामले लम्बित हैं। प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वादों की अधिकता के निष्पादन हेतु 3-4 Full Time Law Officer की नियुक्ति हेतु संचिका सामान्य प्रशासन विभाग में भेजी गयी है। अधिवक्ताओं के नियुक्ति का मामला लम्बित रहने के कारण, लम्बित वादों के निष्पादन में विलम्ब हो रहा है। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया कि Law Officer की नियुक्ति के समाधान हेतु मेरे साथ बैठक की जाए।

9. **सामान्य कल्याण विभाग** में अवमाननावाद के 1 (एक) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 118 (एक सौ अठारह) मामले लम्बित हैं। प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि सी0डब्लू0जे0सी0 में अधिकांश मामले जिला स्तर से संबंधित हैं। सरकारी अधिवक्ता को S.O.F. तैयार करने एवं जिला पदाधिकारी को प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निदेश दिया गया है।

10. समीक्षात्मक बैठक में कुछ विभाग के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का समीक्षा के क्रम में सही जबाव नहीं देने के कारण मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा भविष्य में विभाग के प्रधान सचिव/सचिव ही बैठक में भाग लेंगे, का निर्देश दिया गया।

11 अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामले को 4 सप्ताह के अन्दर शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगली बैठक में इसकी सूचना से अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभाग द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अतः अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

2.1.14

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/236 जे0 पटना, दिनांक- 9/01/14

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/236 जे0 पटना, दिनांक- 9/01/14

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।